न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 153/2023 GCMS No.—2021/57

गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री रामेश्वर जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1 कैलाश चन्द पुत्र श्रीनारायण, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री प्रभुनारायण गुप्ता जाति महाजन, निवासी प्लाट नंबर 319, ईशरदा हाउस, पुराना आमेर रोड, जयपुर (फौत)
2/1 मंजू गुप्ता पत्नी स्व. सुरेश चन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लाट नंबर 319 ईशरदा हाउस पुराना आमेर रोड, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
5. शंकरलाल पुत्र श्री रामेश्वर जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार बस्सी, दिनांक 22.12.2014 अर्न्तगत नामान्तकरण संख्या 1324 ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी।

———————

उपस्थितः–
1. श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 2/1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 20.06.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बस्सी के निर्णय दिनांक 22.12.2014 जिससे नामान्तरकरण संख्या 1324 वाके ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 15.07.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल.वाडिया उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2/1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 4 लगायत 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। तहसीलदार बस्सी से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमो ही बहस माने जाने का कथन किया एवं रेस्पा0 सख्या 2/1 के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों अनुसार रेस्पा0 संख्या 5 के द्वारा एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर के समक्ष बउनवानी गिर्राज बनाम कैलाश दिनांक 23.07.2010 को पेश किया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा

अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात एवं अन्य भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर विवादित भूमि के विशिष्ट भू भाग पर निर्माण नहीं करे। हिस्से अनुसार भूमि में काश्त करने में बाधा नहीं डाले, पुख्ता निर्माण कर कृषि भूमि पर अकृषि परिवर्तन नहीं करने, बेचना नहीं करने रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन है। उक्त वाद के विचारण के दौरान रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियो से सांठगांठ कर जमाबन्दी में स्थगन का नोट होने के बावजूद रेस्पा0 संख्या 1 ने रेस्पा0 संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 27.11.2014 को विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा वादग्रस्त खसरा नंबरान में से खसरा नंबर 256 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा का नामान्तकरण संख्या 1324 दिनांक 22.12.2014 को रेस्पा0 संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जिसको तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 22.12.2014 को तस्दीक किया गया। विवादग्रस्त नामान्तकरण खोलते समय अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में दावे के विचाराधीन होने के बावजूद विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया गया एवं अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। रेस्पा0 संख्या 2, 3, 4 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के स्थगन आदेश का उल्लंघन किया है। अपीलांट को गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी दी गयी जिसके पश्चात अपीलांट ने अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल प्राप्त की एवं अपीलांट ने अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 1324 दिनांक 22.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 2/1 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अनुसार रेस्पा0 संख्या 1 खसरा नंबर 256 के खातेदार थे जिनसे रेस्पा0 संख्य 2 ने जरिये विक्रय पत्र भूमि क्रय की है। अपीलांट का आराजी जैर अपील के कब्जा काश्त एवं खातेदारी से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अपीलाधीन नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक हुआ एवं उक्त विक्रय पत्र को माननीय सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। अपील अपीलांट प्रथम दृष्टया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा बिना स्वीकृति के अपील पेश की है तथा अपीलांट स्वयं को छोटी देवी के वारिसान बताते है किन्तु अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार अपील पेश की गयी है। अतः अपील खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार बस्सी द्वारा मुताबिक पंजीबद्व विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया है। तहसीलदार बस्सी द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के 6 वर्ष पश्चात अपील पेश की है एवं अपीलांट द्वारा अपील में मियाद के बिन्दु पर अंकित तथ्य उचित प्रतीत नही होते है। इसलिए प्रथम दृष्टया अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाते है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन मूल नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1324 पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक पंजीबद्व विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के हक में दर्ज किया गया। जिसे तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 22.12.2014 को स्वीकार किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि जिस विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उस विक्रय पत्र को अपीलांट द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये जाने संबंधी कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किये है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक के समय अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी का स्थगन आदेश अंकित होने का अपील में उज्र किया है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश भी अपीलाधीन आराजीयात पर रहा है तो अपीलांट को संबंधित न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक के समय अपीलांट द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में स्थगन आदेश प्रभावी होने संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है एवं नामान्तकरण रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के हक, हकूक अधिकार किसी प्रकार से है तो भी अधिकारों की घोषणा नियमित वाद में ही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। चूंकि अपीलाधीन भूमि के संबंध में न्यायालय उपखंड अधिकारी बस्सी में दावा विचाराधीन है इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण दावे में पारित अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायाल की मिसल निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर